न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–श्रभ्ध R-555-III/2011

102

(1) कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री राधौमान सिंह
(2) कुशल ध्वज सिंह पुत्र श्री राधौमान सिंह
(3) सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री राधौमान सिंह
(4) शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री राधौमान सिंह
निवासीगण– ग्राम सदहना तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

हरमंगल सिंह मृत विधिक वारिसान

(1) गोपालशरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरमंगल सिंह
(2) भरतशरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरमंगल सिंह
(3) अरूणप्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री हरमंगल सिंह
निवासीगण– ग्राम सदहना तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.)
(4) इन्द्रवती पुत्री स्व. श्री हरमंगल सिंह पत्नी जंगबहादुर सिंह, निवासी– ग्राम दिनौध तहसील व जिला सतना (म.प्र.)
(5) प्रमिला पुत्री स्व. श्री हरमंगल सिंह पत्नी राजपति सिंह, निवासी– ग्राम मदनी तहसील व जिला रीवा (म.प्र.)
(6) शिवचरण सिंह पुत्र श्री समरभान सिंह निवासी– ग्राम सदहना तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

143 / 13-4-11

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० को
द्वारा 13-4-11
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

D Chaturvedi 13/4/11

<u>न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1314/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.03.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम सदहना तहसील सिरमौर जिला रीवा में स्थित भूमि आराजी नं 558/575 रकवा 5.00 एकड़ आवेदकगण एवं अनावेदकगण की पैतृक भूमि है उक्त आराजी के मूल भूमि स्वामी त्रिभुवन सिंह थे। त्रिभुवन सिंह के पुत्र हरमंगल सिंह तथा अनावेदक क्रमांक 6 के बाबा एवं आवेदकगण के पिता स्व. राधौमा सिंह के परबाबा थे। त्रिभुवन सिंह के दो पुत्र हरमंगल सिंह तथा समरभान सि थे। समनभान सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिनके दो पुत्र संतान राधौमान सिंह शिवचरण सिंह हैं। राधौमान सिंह की मृत्यु हो चुकी है इनके 04 पुत्र आवेदकग क्रमशः कृष्णपाल सिंह, कुशल ध्वज सिंह, सतेन्द्र सिंह तथा शैलेन्द्र सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 555–तीन/2011 जिला रीवा

कृष्णपाल सिंह आदि विरूद्ध हरमंगल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29 –6–2016	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकों की ओर से अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के प्रकरण कमांक 227/अ–6/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 24–7–2007 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण में प्रस्तुत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 22 नियम 1 के आवेदनों पर दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 30–3–11 के द्वारा उक्त दोनों आवेदन स्वीकार किये तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक कमांक हरमंगल की मृत्यु 10–11–10 को हुई थी, परन्तु टंकण त्रुटि से मृत्यु दिनांक 26–11–10 टाईप हो गई जिसे सद्भावनापूर्वक मानकर अपर आयुक्त ने आवेदन स्वीकार किया है। जहां तक आवेदक के आवेदन का तकनिकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण अवैट होने संबंधी आवेदन को अपर आयुक्त ने तकनीकी दृष्टि से निरस्त न कर गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु निरस्त किया है। अपर आयुक्त ने नामांतरण प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु वारिसों	

को रिकार्ड पर लेकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाने का आदेश दिया है। चूंकि नामांतरण प्रकरण में पक्षकार एवं उनके वारिसों के हित सन्निहित रहते हैं इसलिए अपर आयुक्त ने मृतक हरमंगल सिंह का वारिसान आवेदन समय–सीमा में मानकर रिकार्ड पर लेने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आुयक्त का आदेश दिनांक 30–3–11 स्थिर रखा जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु वापस भेजा जाता है। पक्षकारा सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य